Regarding compensation to farmers in lieu of loss incurred by them due to power transmission lines passing over their agriculture fields in Bardoli Parliamentary Constituency, Gujarat-Laid

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बारडोली, गुजरात के एक अति महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे संसदीय क्षेत्र में पावर ग्रिड और स्टर्लाईट कंपनी की 765 के.वी. डी/सी. विद्युत लाइन सूरत जिले से होकर गुजरती है जिससे उनकी उपजाऊ भूमि का स्थायी नुकसान हो रहा है । इस विद्युत लाइन से गुजरने वाले मांगरोल, मांडवी, कामरेज, बारडोली और पलसाना तहसील के किसानों को मुआवज़ा देने का प्रश्न उठा है । इसके बावजूद इन प्रभावित किसानों को उनके गाँव की जंत्री या पड़ोसी तालुका के गाँवों की अधिकतम जंत्री के अनुसार अब तक उचित मुआवज़ा नहीं दिया गया है । यह सिर्फ मुआवजे का सवाल नहीं है ? यह सवाल है किसानों के सम्मान, न्याय और आजीविका का । जब हम ऊर्जा विकास की बात करते हैं, तब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास "जनहित में और जन की सहमति से" हो । ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से संसदीय क्षेत्र के प्रभावित तालुका के किसानों को उनकी भूमि का मुआवज़ा अधिकतम जंत्री के अनुसार दिए जाने हेतु माँग करता हूँ ।